

कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2023/ 1070

दिनांक : 21.2.2023

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर

विषय: Proposal for diversion of 286.47 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran for construction of Hathiyadeh Medium Irrigation project in Baran district, Rajasthan State. (Proposal No.: FP/RJ/IRRIG/27263/2017)

प्रसंग: आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 09.02.2021 के क्रम में

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके प्रासंगिक ई0डी0एस0 दिनांक 09.02.2021 के संलग्न भारत सरकार इन्द्रा पर्यावरण भवन नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 04.02.2021 में उल्लेखित आक्षेप की पूर्ति कर उप वन संरक्षक बारां ने अपने क्रमशः पत्रांक एफ ()/एफ.सी.ए./उवसं/2022-23/12284 दिनांक 22.12.2022 एवं पत्रांक 1576 दिनांक 21.02.2023 से बिन्दुवार जवाब तैयार कर इस कार्यालय में प्रेषित किया है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.स.	EDS	EDS Reply
1	The approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan with the estimated cost of the plan and approved R&R plan as sought vide Ministry's letter dated 11.12.2019 have not been submitted.	उप वन संरक्षक बारां द्वारा पत्रांक दिनांक 21.02.2023 से अवगत कराया है कि यूजर एजेन्सी के पत्रांक 2710 दिनांक 20.02.2023 द्वारा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वार्ता अनुसार परियोजना के कोट प्लान हेतु अण्डरटेकिंग प्रेषित की गई है जो संलग्न प्रेषित है।
a	In SIR done by integrated Regional office Jaipur following is reported:-	
b	In Some part of area proposed for compensatory afforestation encroachment is observed on Google overlay of shape files provided. Therefore, site suitability of compensatory afforestation is to be reassessed and if need be additional compensatory afforestation patch to compensate the loss of proposed forest diversion may be pledged.	उप वन संरक्षक बारां द्वारा पत्रांक दिनांक 22.12.2022 से अवगत कराया है कि उक्त क्षेत्र में 35 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। यूजर एजेन्सी द्वारा 35 हैक्टर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर वन विभाग संभालने के संबंध में अण्डरटेकिंग दी गई है जो संलग्न प्रेषित है।
c	Out of proposed compensatory afforestation patches, 44 ha of non-forest land is falling under submergence area of proposed Navnera barrage.	उप वन संरक्षक बारां द्वारा पत्रांक दिनांक 22.12.2022 से अवगत कराया है कि नौनेरा बैराज की एवज में सेट अपार्ट 119.409 हैक्टर भूमि वन विभाग को आवंटित की गई थी जिसमें से MOEF के पत्र दिनांक 26.08.2021 से 75.41 हैक्टर भूमि की ही प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृति दी गई है। अतः शेष 44 हैक्टर भूमि जिला कलेक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ-राज0/11066-77 दिनांक 17.11.2022 ग्राम तिखोद व पाटुन्दा तहसील अन्ता में उक्त परियोजना (हथियादेह सिंचाई परियोजना) हेतु समायोजन की स्वीकृति जारी की गई है।
d	The number of trees/poles to be felled mentioned in the part-II (online) are at variance with the number given in the list attached with the proposal.	उप वन संरक्षक बारां द्वारा पत्रांक दिनांक 22.12.2022 से पेड़ों की गणना सही कर संलग्न कर दी गई है।
e	Muck Calculation and muck disposal scheme needs to be submitted with the proposal.	उप वन संरक्षक बारां द्वारा पत्रांक दिनांक 22.12.2022 से अवगत कराया है कि यूजर एजेन्सी द्वारा मक डिस्पोजल योजना की अण्डरटेकिंग संलग्न कर दी गयी है।
f	The total cost outlay of the project in the part-I is 232.5 lakhs whereas the Cost Benefit Analysis provided with the proposal mentions the cost of construction as 19602 lakhs.	उप वन संरक्षक बारां द्वारा पत्रांक दिनांक 22.12.2022 से अवगत कराया है कि The total cost outlay of the project is 23250.00 lakh it is corrected in part-I. The cost of the project including NPV is 23253.00 lakh & without NPV 19602.00 lakh for thi DPR stage approved BC Ratio also attached.

g	In few patches of pledged non-forest land for compensatory afforestation dense forest is observed which may not be suitable for planting 1,000 nos per ha as provided in para 2.8 (i) of Handbook of FCA-1980. Therefore to plant out remaining saplings in degraded forest land details of locations are to be provided. If possible the kml files of the proposed degraded forest land shall be submitted.	उप वन संरक्षक बारा द्वारा पत्रांक दिनांक 21.02.2023 से अवगत कराया है कि प्रत्यावर्तित 286.47 हैक्टर वनभूमि में से 95.57 है0 में एनएफएल तथा 300 हैक्टर में डीएफएल मॉडल अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वर्तमान श्रमिक दरों अनुसार तैयार कर मय केएमएल फाइल सहित संलग्न प्रेषित किये हैं।
---	--	--

अतः प्राप्त रिपोर्ट कार्यालय की सहमति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 (महेश चन्द गुप्ता)
 संभागीय मुख्य वन संरक्षक
 कोटा

कमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/

दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक बारा को उनके पत्रांक क्रमश 12284 दिनांक 22.12.2022 तथा 1570 दिनांक 21.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
 कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 / 12284

दिनांक 22-12-22

निमित्त:- संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

FCA
ny
27-12-22

विषय :- Proposal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District, Rajasthan State-reg. Proposal no FP/RJ/IRRIG/27263/2017

संदर्भ:- Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Online EDS Date 04-02-21

A
28/11
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि Online EDS Date 04-02-21 से संबंधित सूचना संलग्न प्रेषित है।

SN	EDS	Date 04.02.21	Reply
1.	The Approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan with the Estimated cost of the plan and approved R&R plan as sought vide Ministry,s letter dated 11.12.2019 have not been submitted.		यूजर एजेन्सी द्वारा (CAT) Plan and R&R plan संलग्न कर दिया गया है।
a.	In SIR done by Intergrated Regional office, jaipur following is reported .		
b.	In some part of area proposed for compensatory afforestation encroachment is observed on Google overlay of shape files provided. Therefore ,site suitability of compensatory afforestation is to be re assessed and if need be additional compensatory afforestation patch to compensate the loss of proposed forest diversion may be pledged.		उक्त क्षेत्र में 35 हे० भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। यूजर एजेन्सी द्वारा 35 हे० भूमि पर अतिक्रमण मुक्त कर वन विभाग को संलग्न करने संबंध में अंडरटेकिंग दी गई है। अंडरटेकिंग संलग्न प्रेषित है।
c.	Out of proposed compensatory afforestation patches ,44 ha of non forest land is falling under submergence area of proposed Navnera barrage.		नोनेरा बेराज की एवज में सेट अपार्ट 119409 हे० भूमि वन विभाग को आवंटित की गई थी जिसमें से MOEF के पत्र दिनांक 26.08.2021 से 75.41 हे० भूमि की ही प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृति दी गई है। अतः शेष 44 हे० भूमि जिला कलक्टर बारा के आदेश क्रमांक एफ-राज०/11086-77 दिनांक 27.11.22 से ग्राम तिखोद व पाटुवा सहसील अंतर्गत उक्त परियोजना (हथियादेह सिंचाई परियोजना) हेतु समायोजन कि स्वीकृति जारी की गई है।



d. The number of tree /poles to be felled mentioned in the Part II (online) are at variance with the number given in the list attached with the proposal.	पेड़ों की गणना सही कर दी गई है। (संलग्न है)
ii. Muck Calculation and muck disposal Scheme needs to be submitted with the proposal.	यूजर एजेन्सी द्वारा मक डिस्पोजल योजना की अंडरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
iii. The Total cost outlay of the project in the Part - I is 232.5 lakhs whereas the Cost Benefit Analysis provided with the proposal mention the cost of construction as 19602 lakhs.	The total Cost outlay of the project is 23250.00 lakh it is corrected in part -I. The cost of the project including NPV is 23253.00 lakh & without NPV 19602.00 lakh for this DPR stage approved BC Ratio also attached.
iv. In few patches of pledged non-forest land for compensatory afforestation dense forest is observed which may not be suitable for planting 1000 nos per ha as provided in para 2.8 (i) of Handbook of FCA-1980 . therefore to plant out remaining sapling in degraded forest land detatils of locations are to be provided If possible the kml files of the proposed degraded forest land shall be submitted.	प्रत्यावर्तित भूमि 286.47 है० वन भूमि में कुल 315117 पौधे NFL के अन्तर्गत लगाये जाने हैं परन्तु किन्ही स्थानों पर घना जंगल होने से कुल 95.57 है० NFL में एवं शेष 190.90 है० NFL के स्थान पर 300 है० में 210000 पौधे DFL के अन्तर्गत वन खंडों में लगाये जायेंगे। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 100 है० रेन्ज छीपाबडौद वनखण्ड सेतकोलु 100 है० शाहबाद वनखण्ड झरनीया फरेदुआ एवं 100 है० छबडा वनखण्ड कुन्दा अल्लापुरा में वृक्षारोपण किया जायेगा। KML file संलग्न है

संलग्न- 4 पेट फ

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां
दिनांक

क्रमांक० एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2021/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खंड बारां।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2021 -22 1576

दिनांक 21/2/23

निमित्त:-

विभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :-Prop[osal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of
Executive Engineer, Water Resource Division III ,Baran Construction
Of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District.

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 49 दिनांक 03.01.23 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि Online EDS Date
03.01.23 से चाही गई सूचना संलग्न प्रेषित है।

SN	EDS	Date 03.01.23	Reply
1.	कट प्लान में प्रस्तावित कार्य विभागीय मॉडल अनुसार नहीं है।		यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 2710 दिनांक 20.02.2023 द्वारा अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर कि अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वार्ता अनुसार परियोजना के कट प्लान हेतु अंडरटेकिंग प्रेषित की गई है जो संलग्न प्रेषित है।
2.	प्रत्यावर्तित 286.47 है० वन भूमि में से 95.57 है० में NFL तथा 300 है० में DFL मॉडल अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वर्तमान श्रमिक दरों पर संशोधित कर प्रस्तुत नहीं की गई है। DFL की KML File संलग्न करें।		प्रत्यावर्तित 286.47 है० वन भूमि में से 95.57 है० में NFL तथा 300 है० में DFL मॉडल अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वर्तमान श्रमिक दरों अनुसार तैयार कर संलग्न प्रेषित है। DFL की KML File संलग्न है।

(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक,प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।

2.अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खंड बारां।

(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक

बारां